

# विक्रय पूर्व सूचना पत्र



Ref. No. : 5415184Pre.

Date: 16-Feb-23

बनाम:- (Borrower)



RAM RATAN SHARMA C/O HARI PRASAD SHARMA

TAJSAR TAJSAR SIKAR 564 WATER TANK Sikar Sikar Rajasthan 332301

6

बनाम:- Borrower :- **RAM RATAN SHARMA C/O HARI PRASAD SHARMA**  
**TAJSAR TAJSAR SIKAR 564 WATER TANK**  
**Sikar Sikar Rajasthan 332301**

Co-Borrower-1 : NIL

Co-Borrower- 2 : NIL

GTR - 1 : RAM CHANDRA C/O RAM KARAN

BAGDODA SIKAR RAJASTHAN 564PANI KI TANKI KE PASS Sikar Sikar Rajasthan 332303

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:-

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 RAM RATAN SHARMA C/O HARI PRASAD SHARMA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 NIL , एवं NIL बतौर सहऋणी है एवम आप कंमाक संख्या 3 RAM CHANDRA C/O RAM KARAN गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवम 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभूति दी गयी है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5415184 दिनांक 25-Oct-19 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 210000/-रुपयें की ऋण राशि अपने वाहन i10 SPORTS For Personal Use जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ23CA6504 इंजन नम्बर G4LABM601660 एवं चेसिस नम्बर MALAN51CLBM828840 है, पर प्राप्त की गयी है। यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तोंनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 6340/- रुपयें की 57 नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किस्तों में की जानी थी।
- यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्देशानुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपको 4 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करने की समयावधि में वृद्धि हो गई थी। 13268/- रुपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर, कुल वित्तिय सुविधा 223268/- रुपयें की हो गई है।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगे एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोंनुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार किस्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगे व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगे तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नहीं रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार/स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 13-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया। इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोंनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 247240/- रुपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्मे की बकाया फोर क्लोजर राशि 247240/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्च सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि

(पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

# विक्रय पूर्व सूचना पत्र



Ref. No. : 5415184Pre.

Date: 16-Feb-23

बनाम:- (GTR)



RAM CHANDRA C/O RAM KARAN

BAGDODA SIKAR RAJASTHAN 564 PANI KI TANKI KE PASS Sikar Sikar  
Rajasthan 332303

बनाम:- Borrower :- **RAM RATAN SHARMA C/O HARI PRASAD SHARMA**  
**TAJSAR TAJSAR SIKAR 564 WATER TANK**  
**Sikar Sikar Rajasthan 332301**

Co-Borrower-1 : NIL

Co-Borrower- 2 : NIL

GTR - 1 : RAM CHANDRA C/O RAM KARAN

BAGDODA SIKAR RAJASTHAN 564 PANI KI TANKI KE PASS Sikar Sikar Rajasthan 332303

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:-

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध में आप कंमाक संख्या 1 RAM RATAN SHARMA C/O HARI PRASAD SHARMA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 NIL , एवं NIL बतौर सहऋणी है एवम आप कंमाक संख्या 3 RAM CHANDRA C/O RAM KARAN गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवम 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभूति दी गयी है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5415184 दिनांक 25-Oct-19 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 210000/-रुपयें की ऋण राशि अपने वाहन i10 SPORTS For Personal Use जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ23CA6504 इंजन नम्बर G4LABM601660 एवं चेसिस नम्बर MALAN51CLBM828840 है, पर प्राप्त की गयी है। यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तोंनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 6340/- रुपयें की 57 नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किस्तों में की जानी थी।
- यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्देशानुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपको 4 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करने की समयावधि में वृद्धि हो गई थी। 13268/- रुपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर, कुल वित्तिय सुविधा 223268/- रुपयें की हो गई है।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेंगे एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोंनुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार किस्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगे व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगे तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नहीं रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार/स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 13-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया। इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोंनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 247240/- रुपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्मे की बकाया फोर क्लोजर राशि 247240/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्च सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि

(पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)